



राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135-2662253, 2662254

टैलीफैक्स : 0135-2662251, 2662257

E-Mail : sec-uttarakhand@uk.gov.in

संख्या-1141/रा0नि0आ0अनु0-2/4324/2025 देहरादून दिनांक 21 जून, 2025

अधिसूचना

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 243-ट में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, सुशील कुमार, राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तराखण्ड, एतद्वारा सचिव, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून की अधिसूचना संख्या-885/XII(1)/2025/86(16)/2019 दिनांक 21 जून, 2025 के क्रम में निर्देश देता हूँ कि उत्तराखण्ड राज्य के 12 (बारह) जनपदों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) की समस्त ग्राम पंचायतों के सदस्यों, ग्राम पंचायतों के प्रधानों, क्षेत्र पंचायतों के सदस्यों एवं जिला पंचायतों के सदस्यों के निर्वाचन निम्नांकित विनिर्दिष्ट समय-सारिणी के अनुसार सम्पन्न कराये जायेंगे:-

निर्वाचन चक्र	नामांकन की तिथियां	नामांकन पत्रों की जांच की तिथियां	नाम वापसी हेतु तिथि	निर्वाचन प्रतीक आवंटन की तिथि	मतदान की तिथियां	मतगणना एवं परिणामों की घोषणा
1	2	3	4	5	6	7
प्रथम चक्र	25.06.2025 से 28.06.2025 (पूर्वाह्न 08:00 बजे से अपराह्न 04:00 बजे तक)	29.06.2025 से 01.07.2025 तक (पूर्वाह्न 08:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	02.07.2025 (पूर्वाह्न 08:00 बजे से अपराह्न 03:00 बजे तक)	03.07.2025 (पूर्वाह्न 08:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	10.07.2025 (पूर्वाह्न 08:00 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक)	19.07.2025 (पूर्वाह्न 08:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)
द्वितीय चक्र	---तदैव---	---तदैव---	---तदैव---	08.07.2025 (पूर्वाह्न 08:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	15.07.2025 (पूर्वाह्न 08:00 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक)	---तदैव---

2. निर्वाचन कार्यक्रम दो चक्रों में होंगे। चक्रवार विकास खण्डों का निर्धारण परिशिष्ट-क संलग्न है।

3. संबंधित जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी, (पंचायत) अपने जिले की ग्राम पंचायतों के सदस्यों, ग्राम पंचायतों के प्रधानों, क्षेत्र पंचायतों के सदस्यों तथा जिला पंचायतों के सदस्यों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का पूर्ण (समस्त पदों/स्थानों के आरक्षण सहित) विवरण देते हुए अपने स्तर से सूचना दिनांक 23.06.2025 (सोमवार) को जारी करते हुये उसकी प्रति सरकारी गजट में प्रकाशन के लिए प्रेषित करते हुये उसकी सूचना राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड को तत्काल प्रेषित करेंगे। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी, (पंचायत), द्वारा इस निर्वाचन कार्यक्रम का स्थानीय

समाचार पत्रों तथा अन्य इलैक्ट्रॉनिक माध्यमों से भी व्यापक प्रचार किया जायेगा और ग्राम पंचायतों में मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को इसकी सूचना दी जायेगी। सार्वजनिक जानकारी हेतु ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, तहसील कार्यालय और जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के सूचना-पटों में भी यह कार्यक्रम प्रकाशित किया जायेगा।

4. सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) की उपर्युक्त सूचना के अधीन सभी निर्वाचन अधिकारी सम्बन्धित ग्राम पंचायतों के सदस्यों, ग्राम पंचायतों के प्रधानों, क्षेत्र पंचायतों के सदस्यों तथा जिला पंचायतों के सदस्यों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का (समस्त पदों/स्थानों का आरक्षण सहित) पूर्ण विवरण देते हुए अपने स्तर से सार्वजनिक सूचना नामांकन के प्रथम दिनांक से पूर्व निर्गत करेंगे और उसकी प्रति जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को तत्काल प्रेषित करेंगे।

5. सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत एवं सदस्य क्षेत्र पंचायत के प्रत्याशियों के नाम-निर्देशन-पत्रों की बिक्री सम्बन्धित विकासखण्ड मुख्यालयों पर तथा सदस्य जिला पंचायत के प्रत्याशियों के नाम-निर्देशन पत्रों की बिक्री जिला पंचायत मुख्यालय अथवा जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियत स्थान पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सूचना जारी करने की तिथि से (अर्थात् दिनांक 23.06.2025 से दिनांक 27.06.2025 तक) कार्यालय समय में तथा दिनांक 28.06.2025 को अपराह्न 3.00 बजे तक निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा की जायेगी।

6. इन निर्वाचनों में वही निर्वाचन-प्रक्रिया अपनाई जायेगी, जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित एवं निर्देशित है। सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत एवं सदस्य क्षेत्र पंचायत के पदों के विषय में नामांकन पत्र दाखिल करने, उनकी जांच करने व नाम वापसी तथा निर्वाचन प्रतीक आवंटन का कार्य क्षेत्र पंचायत (विकास खण्ड) मुख्यालय पर होगा। मतों की गणना क्षेत्र पंचायत (विकास खण्ड) के मुख्यालय पर की जायेगी तथा परिणाम भी क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर ही घोषित किया जायेगा।

7. सदस्य जिला पंचायत के सदस्यों हेतु नामांकन पत्र दाखिल करने, उनकी जांच करने व नाम वापसी तथा निर्वाचन प्रतीक आवंटन का कार्य जिला पंचायत मुख्यालय अथवा जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियत स्थान पर होगा किन्तु मतों की गणना सम्बन्धित क्षेत्र पंचायतों के मुख्यालय पर होगी और निर्वाचन परिणाम जिला पंचायत मुख्यालय अथवा जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियत स्थान पर घोषित किये जायेंगे।

संलग्नक-परिशिष्ट-क

(सुशील कुमार)
राज्य निर्वाचन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

संख्या-1141/रा0नि0आ0अनु0-2/4324/2025 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। (ई0मेल)

1. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. सचिव, कार्मिक, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
5. सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन भवन, नई दिल्ली।
6. सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

7. प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
8. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
10. सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
11. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
13. निदेशक, पंचायती राज, उत्तराखण्ड, देहरादून।
14. समस्त जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पं०), उत्तराखण्ड (जनपद हरिद्वार को छोड़कर)।
15. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड (जनपद हरिद्वार को छोड़कर)।
16. समस्त मुख्य विकास अधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी (पं०), उत्तराखण्ड। (जनपद हरिद्वार को छोड़कर)
17. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तराखण्ड (जनपद हरिद्वार को छोड़कर)।
18. समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उत्तराखण्ड (जनपद हरिद्वार को छोड़कर)।
19. समस्त सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, उत्तराखण्ड (जनपद हरिद्वार को छोड़कर)।
20. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि वह इस अधिसूचना को सभी समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने व आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्रों को प्रसारण हेतु प्रेषित कराने का कष्ट करें।
21. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, फोटो लिथो प्रेस, रुड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस अधिसूचना को आगामी असाधारण गजट में तत्काल मुद्रित कराकर इस की 25 प्रतियां आयोग के उपयोगार्थ/अभिलेखार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
22. आयोग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
23. सूचना-पट्ट, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड।

(सुशील कुमार)
राज्य निर्वाचन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

संख्या-1141 रा0नि0आ0-2/4324/2025 दिनांक 21 जून, 2025 का संलग्नक।

त्रिसतरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन, 2025 हेतु चक्रवार विकास खण्डों का निर्धारण।

क्र0 सं0	जनपद का नाम	प्रथम चक्र के निर्वाचन हेतु विकास खण्ड	द्वितीय चक्र के निर्वाचन हेतु विकास खण्ड
1	2	3	4
1	अल्मोड़ा	ताकुला, धौलादेवी, ताड़ीखेत भैंसियाछाना, लमगड़ा एवं चौखुटिया	सल्ट, स्याल्दे, भिकियासैण, हवालबाग एवं द्वाराहाट
2	ऊधमसिंहनगर	खटीमा, सितारगंज, गदरपुर एवं बाजपुर	रुद्रपुर, काशीपुर एवं जसपुर
3	चम्पावत	लोहाघाट एवं पाटी	चम्पावत एवं बाराकोट
4	पिथौरागढ़	धारचूला, डीडीहाट, मुनस्यारी एवं कनालीछीना	विण, मूनाकोट, बेरीनाग एवं गंगोलीहाट
5	नैनीताल	बेतालघाट, ओखलकाण्डा, रामगढ़ एवं धारी	हल्द्वानी, रामनगर, भीमताल एवं कोटाबाग
6	बागेश्वर	बागेश्वर, गरुड़ एवं कपकोट	
7	उत्तरकाशी	मोरी, पुरोला एवं नौगांव	डुण्डा, चिन्यालीसौड एवं भटवाड़ी
8	चमोली	देवाल, थराली, ज्योतिर्मठ एवं नारायणबगड़	पोखरी, दशोली, नन्दानगर, कर्णप्रयाग एवं गैरसैण
9	टिहरी गढ़वाल	जौनपुर, प्रतापनगर, जाखणीधार, थौलधार एवं भिलंगना	कीर्तिनगर, देवप्रयाग, नरेन्द्रनगर एवं चम्बा
10	देहरादून	चकराता, कालसी एवं विकासनगर	डोईवाला, रायपुर एवं सहसपुर
11	पौड़ी गढ़वाल	खिरसू, पाबौ, थलीसैण, नैनीडाण्डा, बीरौखाल, रिखणीखाल, एकेश्वर एवं पोखड़ा	यमकेश्वर, जयहरीखाल, दुगड्डा, द्वारीखाल, पौड़ी, कोट एवं कल्जीखाल
12	रुद्रप्रयाग	ऊखीमठ, जखोली एवं अगस्त्यमुनि	

(सुशील कुमार)
राज्य निर्वाचन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।